APP-4
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम...

....बनाम...

किस्म मुकदमा...नं. ....सन्....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/19	पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14/7/15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान दिनांक 26/6/19 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली बाद निर्णय फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जमा सफ़ा (भागवन्ती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/400

1. धनराज आयु 17 वर्ष आत्मज रूपचन्द नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रूपचन्द आत्मज रामचन्द्र जी जाति लोधा निवासी ग्राम कोटखेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. सत्यनारायण आयु 14 वर्ष आत्मज रूपचन्द नाबालिग जरिय संरक्षक पिता रूपचन्द आत्मज रामचन्द्र जाति लोधा निवासी ग्राम कोटखेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
2. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सरदारों का टापरा, ग्राम कोटखेडा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम कोटखेडा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 534/308 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के वादीगण खातेदार हैं तथा उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि के पश्चिम ओर खसरा नम्बर 532/307 की प्रतिवादी कम 2 को आवंटित की गई है । प्रतिवादी कम 2 को उक्त भूमि विद्यालय भवन निर्माण के लिए आवंटित की गई है । प्रतिवादी वादी के खाते एवं कब्जे की आराजी पर जबरन पक्की दीवार का निर्माण कराने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि की पश्चिमी और

अथवा किसी भी ओर से वादीगण के खाते की भूमि की सीमा के भीतर जबरन अतिक्रमण नहीं करे, बलपूर्वक कब्जा नहीं कर तथा न ही वादीगण के खाते की भूमि के पश्चिमी ओर स्थित भूमि में आने–जाने हेतु एक मात्र उपलब्ध रास्ते को निर्माण करके अवरूद्ध अथवा बन्द करे तथा न ही वादीगण के खाते की भूमि की सीमा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 के द्वारा वाद वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में केवल राजीनामे के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया था । वादीगण के खाते की आराजी के पश्चिम ओर खसरा नम्बर 307 की आराजी प्रतिवादी कम 2 को आवंटित की गई है । प्रतिवादी वादी अपीलान्ट के खाते की आराजी में जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करना चाहते हैं जिससे रास्ता अवरूद्ध हो जावेगा । पत्रावली में जवाब हेतु तारीख दी गई थी और इसे लोक अदालत में निर्णित किया गया है । लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । सीपीसी की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट के पक्ष में सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश जारी हो रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 672/532 विद्यालय को आवंटित की गई है जिसका कब्जा प्रधानाध्यापक को संभला या जा चुका है । वादी के खाते की भूमि में विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है । वाद वादी मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद पेश कर कथन किया है कि ग्राम कोटखेडा तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 534/308 की रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । इसके पश्चिम ओर खसरा नम्बर 532/307 की आराजी प्रतिवादी कम 2 को आवंटित की गई है । प्रतिवादी कम 2 वादी के खाते की आराजी पर पक्की दीवार का निर्माण करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब एवं बहस प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही किसी प्रकार का राजीनाम पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय करते हुए दावा वादी खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है ।

11. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर, सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा